



पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण हेतु की गई न्यायालयीन कार्यवाही

विचाराधीन वर्ष 10-11 में निम्नलिखित उद्योगों/संस्थानों के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण दायर किये गये:-

क्र.	उद्योग/संस्थान का नाम	प्रकरण दायर करने का दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
1	मेसर्स गुरुकृपा एग्रीटैक मालनपुर, भिण्ड	4/6/10	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-33 व 44	सम्मति शर्तों का उल्लंघन बाबद्।
2	मेसर्स अबिका साल्वेक्स लि. ग्राम चाकरोद जिला-शाजापुर	14/6/10	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-41 व 47 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-37 व 47	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
3	मेसर्स कपारो ट्यूब्स इंडिया लि. देवास	3540/10	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-41 व 47 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-37 व 40	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
4	मेसर्स माँ कैलादेवी स्टोन क्रेशर नयागाँव, ग्वालियर	5/7/10	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-37 व 39	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
5	मेसर्स श्याम ब्रेनाईट नयागाँव, ग्वालियर	5/7/10	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-37 व 39	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
6	मेसर्स डी.डी.स्टोन क्रेशर, नयागाँव, ग्वालियर	5/7/10	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-37 व 39	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
7	मेसर्स किरण स्टोन क्रेशर, नयागाँव, ग्वालियर	5/7/10	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-37 व 39	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
8	मेसर्स डायमण्ड स्टोन क्रेशर, नयागाँव, ग्वालियर	6/7/10	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-37 व 39	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
9	मेसर्स निर्मला ब्रेनाईट नयागाँव, ग्वालियर	6/7/10	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-37 व 39	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
10	मेसर्स शारदा ब्रेनाईट नयागाँव, ग्वालियर	6/7/10	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-37 व 39	बिना सम्मति संचालन बाबद्।



क्र.	उद्योग/संस्थान का नाम	प्रकरण दायर करने का दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
11	मेसर्स विजय ब्रेनाईट नयागाँव, ग्वालियर	6/7/10	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-37 व 39	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
12	मेसर्स लकी स्टोन क्रेशर, नयागाँव ग्वालियर	6/7/10	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-37 व 39	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
13	मेसर्स क्वेस्ट लेबोरेटरीज ऑंकार मार्ग गाँधी नगर इन्दौर	21/7/10	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43 एवं 44	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
14	मेसर्स मैकवेल फार्मास्युटिकल्स मंगल मार्ग गाँधी नगर इन्दौर	21/7/10	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43 एवं 44	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
15	मेसर्स स्विफ्ट फॉर्मूलेशन परसराम मार्ग गाँधीनगर इन्दौर	21/7/10	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43 एवं 44	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
16	मेसर्स पी.के. फार्मा सी-स्पेशल गाँधीनगर इन्दौर	21/7/10	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43 एवं 44	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
17	मेसर्स खण्डवा ऑईल्स पंधाना खण्डवा	3/8/10	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43 एवं 44	बिना सम्मति संचालन एवं मॉनिटरिंग परिणाम निर्धारित मानकों से अधिक पाये जाने बाबद्।
18	मेसर्स एम.पी.वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रोजेक्टस (रामकी इन्वायरो इन्जीनियर्स) पीथमपुर जिला -धार	06/08/10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के तहत।	बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण।
19	मेसर्स इंडो जिंक लि.प्लाट क्रमांक 79 सेक्टर-3 औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर जिला-धार	06/08/10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के तहत	खतरनाक अपशिष्ट का डिस्पोजल नहीं करने के कारण।
20	मेसर्स रिब गार्डन स्कीम न.59 इन्दौर	4/10/10 5/10/10	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21,37 व 40	बिना सम्मति संचालन बाबद्।



क्र.	उद्योग/संस्थान का नाम	प्रकरण दायर करने का दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
21	मेसर्स पुखराज पैलेस गार्डन फूटी कोठी इन्दौर	4/10/10 5/10/10	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 40	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
22	मेसर्स मथुरा महल गार्डन माणिक बाग इन्दौर	4/10/10 5/10/10	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 40	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
23	मेसर्स तोरण गार्डन छोटी खजरानी इन्दौर	4/10/10 5/10/10	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 40	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
24	मेसर्स वीर वीरेन्द्र गार्डन स्कीम न. 71 इन्दौर	4/10/10 5/10/10	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 40	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
25	मेसर्स सोमेश गार्डन, धार रोड इन्दौर	6/10/10 8/10/10	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 40	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
26	मेसर्स नवनीत गार्डन धनश्री नगर इन्दौर	6/10/10 8/10/10	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 40	बिना सम्मति संचालन बाबद्।



क्र.	उद्योग/संस्थान का नाम	प्रकरण दायर करने का दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
27	मेसर्स महावीर बाग एरोड रोड, इन्दौर	6/10/10 8/10/10	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 40	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
28	मेसर्स शकुन्तला गार्डन छोटी खजरानी इन्दौर	6/10/10 8/10/10	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 40	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
29	मेसर्स अपना पैलेस धार रोड इन्दौर	6/10/10 8/10/10	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 40	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
30	मेसर्स ईश्वरीय गार्डन राजेन्द्र नगर इन्दौर	6/10/10 8/10/10	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 40	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
31	मेसर्स विमल गार्डन विनय नगर केशर बाग रोड, इन्दौर	6/10/10 8/10/10	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 40	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
32	मेसर्स इन्द्रप्रस्थ गार्डन सुदर्शन नगर इन्दौर	6/10/10 8/10/10	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 40	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
33	मेसर्स रिलेक्स गार्डन द्वारकापुरी कॉलोनी इन्दौर	6/10/10 8/10/10	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 40	बिना सम्मति संचालन बाबद्।



क्र.	उद्योग/संस्थान का नाम	प्रकरण दायर करने का दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
34	मेसर्स नृसिंह गार्डन एयरपोर्ट रोड, इन्दौर	6/10/10 8/10/10	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21,37 व 40	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
35	मेसर्स माला गार्डन सिद्धार्थ नगर इन्दौर	8/10/10 8/10/10	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21,37 व 40	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
36	मेसर्स लगन गार्डन पिपल्याराव इन्दौर	11/10/10 11/10/10	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21,37 व 40	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
37	मेसर्स गिरधर महल गार्डन विजय नगर इन्दौर	11/10/10 11/10/10	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21,37 व 40	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
38	मेसर्स साहिल पैलेस गार्डन सुदर्शन नगर इन्दौर	11/10/10 11/10/10	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21,37 व 40	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
39	मेसर्स अमर बैक्चेट हॉल स्नेह नगर इन्दौर	11/10/10 11/10/10	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21,37 व 40	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
40	मेसर्स लॉ-ओमनी गार्डन सयाजी होटल के सामने, विजय नगर इन्दौर	22/11/10 22/11/10	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21,37 व 40	बिना सम्मति संचालन बाबद्।



क्र.	उद्योग/संस्थान का नाम	प्रकरण दायर करने का दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
41	मेसर्स लिक्टो उरभर्क निमरानी खरगोन	29/12/10	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21, 37 एवं 40	मॉनिटरिंग परिणाम निर्धारित मानकों से अधिक पाये जाने बाबद्।
42	मेसर्स खेतान केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लि. निमरानी खरगोन	29/12/10	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21, 37 एवं 40	मॉनिटरिंग परिणाम निर्धारित मानकों से अधिक पाये जाने बाबद्।
43	मेसर्स पेसेफिक एक्सपोर्ट माइन ग्राम झीठी सिहोरा जबलपुर	13/1/11	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21, 37 एवं 39 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-25,44 एवं 45 ए	बिना सम्मति संचालन बाबद्।
44	मेसर्स जयदीप ग्लास वर्क्स प्रा.लि. (स्पीनिंग यूनिट-2) प्लाट क्रमांक-1 सेक्टर-3 औद्योगिक क्षेत्र खेडा पीथमपुर जिला-धार	9/2/11	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25, 26 एवं 44	स्थापना सम्मति शर्तों का पालन न करने एवं बिना सम्मति संचालन बाबद्।
45	मेसर्स दावत फूड लि. मण्डीदीप जिला-रायसेन	17/3/11	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 43, 44 एवं 47	जल/वायु अधिनियमों के उल्लंघन बाबद्।

सिद्ध हुये आरोप

मेसर्स मार्डन डेन्टल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेंटर इन्दौर -मा. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी इन्दौर के न्यायालय में जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन) नियम 1998 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा -15 के तहत वाद दायर किया गया था।

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13/4/10 को आदेश पारित कर आरोपीगण द्वारा अविवाक चर्चा के माध्यम से निराकरण किये जाने का निवेदन किया था जो स्वीकार किया गया अत अपराध स्वरूप और प्रथम अपराध को दृष्टिगत रखते हुये यह न्यायालय आरोपीगण को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा -15 सहपठित धारा 17 के अधीन दोषसिद्ध ठहराते हुये 25000/-, 25000/- रुपये के अर्थदण्ड ,व्यतिक्रम होने पर एक एक वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया जाता है।

अर्थदण्ड की राशि में से 20,000/- रुपये प्रतिकर स्वरूप परिवादी को अदा किये जावे।